>

Title: Need to implement uniform rules for issuance of arm licences in the country.

श्री अशोक अर्गल (भिंड): देश के नागरिक आत्म रक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करते हैं। लाइसेंस लेने से पहले थाना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर एवं शासन की अनुमति मिलने पर शस्त्र लाइसेंस बनता है। लेकिन आज देश में भिन्न शस्त्र लाइसेंस नियम लागू हैं जिसके तहत एक विशिष्ट श्रेणी के लोगों को प्राप्त लाइसेंस संपूर्ण भारत में वैध है जबकि आम लोगों को प्राप्त शस्त्र लाइसेंस की वैधता राज्य की सीमाओं तक ही सीमित है जिससे आम लोगों को इस नियम से परेशानी होती है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि संपूर्ण देश में सभी लोगों के लिए समान शस्त्र लाइसेंस नियम लागू करें एवं शस्त्र लाइसेंस की वैधता सभी लोगों के लिए संपूर्ण भारत में लागू करें।